



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

फैक्स नं० 0522-2286643

☎ नं० 0522-2287701

पत्र सं०: 1330-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2010-50-मा०सं०प्र०-02/2007

दिनांक : 05 जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञाप

“पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद की “उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली-1970” जो कि सम्प्रति उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में प्रभावी हैं, के विनियम-9 : शैक्षिक अर्हताएँ के अन्तर्गत नैतिक श्रेणी लिपिक/समयपाल सम्प्रति कार्यालय सहायक (श्रेणी-3) पद हेतु कमांक (2) पर उल्लिखित शैक्षिक अर्हताओं जो कि निम्न स्तम्भ-1 में इंगित हैं, को एतद्वारा निम्न अंकित स्तम्भ-2 में इंगित शैक्षिक/प्रावैधिक अर्हताओं से तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
2- नैतिक श्रेणी लिपिक/समयपाल	2- कार्यालय सहायक (श्रेणी-3)
हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद उ०प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा मानी गई उसके समतुल्य अन्य कोई परीक्षा।	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी / अंग्रेजी टंकण में कमशः 35/40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति सहित कम्प्यूटर के क्षेत्र में वर्ड एवं एक्सेल की जानकारी।

2- एतद्वारा यह भी आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व तक की अवधि के प्रकरणों का निस्तारण मूल विनियमावली-1970 के प्राविधानानुसार किया जाए। जिन प्रकरणों का निस्तारण तत्समय लागू विज्ञप्ति सं०: 531-विनियम-23/राविप/98, दिनांक 22.12.98 के अनुसार किया जा चुका है, उनको पुनर्उद्घाटित (री-ओपन) नहीं किया जाएगा।”

3- निगमादेश सं०: 91-उनिलि/औ०सं०/मृतक आश्रित(47), दिनांक 13.04.2009 द्वारा कार्यालय सहायक श्रेणी-III (लेखा), शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट-वाणिज्य के पद पर इस पद की रिक्तियों को भरने की आवश्यकता के दृष्टिगत मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजना प्रदान किये जाने का प्राविधान है। इस पद की भी शैक्षिक योग्यता “इण्टरमीडिएट-वाणिज्य से बढ़ा कर स्नातक-वाणिज्य तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में कमशः 35/40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति सहित कम्प्यूटर के क्षेत्र में वर्ड एवं एक्सेल की जानकारी” की जाती है।

drms

PM-3, Pragati
M. upload
28
14/7

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

कमशः.....2


Smt Poonam, AE
18 upload
28/7/10

सं: 1330 -(1)मा0सं0प्र0-02/जनिलि/2010, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/ (तकनीकी)/ (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, के निजी सचिव, लखनऊ ।
- (3) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), ओबरा/अनपरा/पनकी/हरदुआगंज/पारीछा तापीय परियोजनायें, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा(सोनभद्र)/पनकी(कानपुर)/कासिमपुर(अलीगढ़) /पारीछा (झॉसी) ।
- (4) मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/II), पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन/मा0सं0/वाणिज्य/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद/आर0 एण्ड एम0/ईधन, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (5) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (6) महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (7) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 18.06.10 को सम्पन्न 142वीं बैठक के एजेण्डा आइटम-7 पर लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में ।
- (8) सचिव, उत्पादन निगम सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (9) अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, मानव संसाधन(01/02/03/04/05/06)/चिकित्सा/टाण्डा वाइन्डिंग सेल/संसदीय कार्य/रिफॉर्म/प्रशिक्षण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (10) रेजीडेन्ट ऑफिसर, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, नोएडा ।
- (11) उपमुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पनकी/हरदुआगंज/पारीछा तापीय परियोजनायें, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा(सोनभद्र)/अनपरा(सोनभद्र)/पनकी(कानपुर)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पारीछा(झॉसी) ।
- (12) समस्त अधिशासी अभियन्ता/उप सचिव/अनु सचिव/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्रशासन)/ लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (13) कट फाईल ।

आज्ञा से,



(एम0 डी0 मिश्र)

अनु सचिव